दोषी सांसदो एंव विधायकों की सदस्यता तत्काल रद्द करने हेतू सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

याचिकाकर्ताः श्रीमति लिली थोमस और श्री शुक्ला (महासचिवः लोक प्रहरी)

श्रीमति लिली थोमस और श्री शुक्ला (महासचिवःलोक प्रहरी) की याचिका पर 10 जुलाई,2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया की यदि दागी सांसद/विधायक अगर दोषी पाये जाते हैं तो उनकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जायेगी तथा सीट रिक्त मान ली जायगी–

नीचे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और उसके प्रभाव के बारे में पूछे जा रहे प्रश्नों के उत्तर दिए गये हैं–

1. इस फ़ैसले का क्या अभिप्राय है?

फ़ैसले से अभिप्राय है कि यदि कोई भी सांसद या विधायक दोषी पाया जाता है, तो उनकी सदस्यता तुरन्त रद्द हो जायेगी और उनकी सीट रिक्त मान ली जायगी।

2. क्या सभी दोषी अभियुक्तों की सदस्यता को तुरन्त अयोग्य मान लिया जायेगा?

नहीं, इस फैसल के बाद जो भी सांसद या विधायक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 1,2 या 3 के तहत अदालत में दोषी ठहराया जायगा, केवल उनकी सदस्यता रद्द मानी जायगी।

3. इस फ़ैसले का मुख्य आधार क्या है?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार यह माना गया है कि जो मापदंड एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए मान्य हैं वही मानक निर्वाचित सांसद या विधायक के लिए भी होने चाहिए । इसलिए जैसे ही निर्वाचित विधायक या सांसद न्यायालय द्वारा दोषी करार किये जाते हैं वैसे ही तुरन्त उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह भी साफ किया है कि संसद के पास वो शक्तियां नहीं है जिससे वो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और निर्वाचित सांसद या विधायकों के लिए दो भिन्न पक्षपात पूर्ण मापदंड स्थापित करे। अगर कोई कानून ऐसा पक्षपात करता है तो वो गैर संविधानिक है।

4. संवैधानिक दृष्टि से इस फ़ैसले का आधार क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) एंव 191(1)(e) यह कहते हैं कि संसद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एंव निर्वाचित सांसद या विधायकों को बखास्त करने (एंव प्रतिबंध लगाने) का आधार एक समान ही तय करे।

5. यदि सांसद या विधायक न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किये जाते हैं तो क्या उनकी बर्खास्तगी तुरन्त मान्य होगी?

जी हाँ, सुप्रीप कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक जिनको जैसे ही दोषी करार दिया जाता है वैसे ही उनकी सदस्यता (संसद या विधानसभा से) रद्द मानी जायगी।

6. अगर किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष से कम की सज़ा सुनाई जाती है तो क्या वह फिर भी अयोग्य घोषित माने जायगे?

अगर कोई सांसद या विधायक न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाता है और 2 वर्ष से कम की सज़ा भी अगर पाता है तो भी उनकी सदस्यता भी रद्द मानी जायगी बर्शते उसका दोष जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधाराओं 1 और 2 में उल्लेखित कानूनों एंव भारतीय दंड सहिता के अनुभाग के अर्न्तगत सिद्ध होता है।

7. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में कौन कौन आता है?

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दायरे में वो निर्वाचित सांसद और विधायक आते है जो 10 जुलाई 2013 (सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तिथि) के उपरान्त न्यायालय द्वारा दोषी करार पाये जाते है। इस तिथि से पूर्व दोषी घोषित किये गये विधायक एवं सांसदो पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

8. क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन राजनैतिक दलों के लिए निवारक सिद्ध होगा जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट वितरित करते हैं?

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से पूर्व राजनैतिक दल आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से इसलिए नही कतराते थे क्योंकि इन उम्मीदवारों के चुने जाने के उपरान्त अगर यह उम्मीदवार न्यायालय द्वारा दोषी करार किये जाते हैं उस स्थिति में भी वो संसद व विधानसभा में बने रहते थे। लकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात अब निर्वाचित सांसद व विधायक अगर न्यायालय द्वारा दोषी घोषित होते हैं तो उनकी सदस्यता तुरन्त रद्द हो जायगी और तत्पश्चात पार्टी की संख्या संसद या विधानसभा में घट जायेगी। इसलिए पार्टियां भविष्य में अब आपराधिक छवि वाल उम्मीदवारों को टिकट देने से हिचकिचायगी।

9. क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का यह एक फैसला राजनीति के अपराधिकरण समाप्त करने के लिए काफी है?

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनैतिक दलों को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट वितरण करने से रोकने के लिए निवारक सि(होगा। लेकिन न्यायालयों में विधायकों और सांसदो के विरूद्ध (लम्बे अरसों से लंबित मामले चलते रहते हैं और इन मामलों में फ़ैसला आते आते बहुत समय बीत जाता है। यह भी एक अति गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे से संबधित सुप्रोम कोर्ट में एक जनहित याचिका में सुनवाई चल रही है जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हम यह आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामलें में जल्द ही फ़ैसला सुनाये ताकि राजनीति के अपराधीकरण पे रोक लग सके।

इसके अलावा चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दे, राजनैतिक दलों के सुधार हेतु बिल एंव न्यायिक और पुलिस सुधार जो वर्षो से ठण्डे बस्ते में सरकार ने रखे हुए है उनपर सार्वजनिक बहस छेड़ी जाये और तत्पश्चात कानून बनाकर लागू किये जाये।